

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2008

2471

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

सूचना

फ. 3-17 2006-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य रा हरदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

कलेक्टर, जिला हरदा (म.प्र.)

सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हरदा (म.प्र.)

विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, 1973 की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

फ. 3-17 2006-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (ख) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग क्रमांक एफ. 3-17 2006-बत्तीस, दिनांक 8 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

Bhopal, the 8th October 2008

NOTICE

F. 3-17 2006 XXXII — Notice under Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, hereby given that the State Government has approved the Development plan for Planning Area under sub-section (4) of Section 19 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :-

Collector, District Harda (M.P.)

(2) Assistant Director, Town & Country Planning, District Office, Hoshangabad (M.P.)

(3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Harda (M.P.)

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order & in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

सूचना

क्र. एफ. 3-67-2007-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(1) कलेक्टर, जिला सिवनी (म.प्र.)

(2) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दावाड़ा (म.प्र.)

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सिवनी (म.प्र.)

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्र. एफ. 3-67-2007-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-67-2007-बत्तीस, दिनांक 8 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

सिवनी

5.1 प्रस्तावित परिचरण संरचना

